



Neutral Citation No. - 2026: AHC:26018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3047/2026

दीपक कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: धर्म वीर जायसवाल, हर्ष विक्रम, सतेंद्र कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता द्वारा अभिलिखित कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जब वह रात में छत पर सो रही थी, तब आवेदक वहां पहुंचा और उसे पकड़ लिया, जब उसने शोर मचाने की कोशिश की, तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। जब उसका पति वहां आया, तो उसने भी उसे पकड़ लिया और 112 डायल किया इसके बाद, आवेदक फरार हो गया। पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



180 और 183 के तहत अभिलिखित अपने कथन में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि पीड़िता के पति ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में कहा है कि घटना वाले दिन वह एक कमरे में सो रहा था जबकि उसकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी और रात लगभग 11:30 बजे जब वह जागा, तो वह अपनी पत्नी के कमरे में गया और उसने वहां आवेदक को पकड़ लिया और उसकी पत्नी ने उसे बताया कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि कथित घटना 20.11.2025 को रात लगभग 11:30 बजे घटी थी, जबकि, पीड़िता की चिकित्सकीय जांच 21.11.2025 को की गई थी, लेकिन जांच में पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई। इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य उसके साथ हुए जबरन बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं करते हैं। अतः यह तर्क दिया गया है कि यह एक झूठा मामला है और आवेदक को दुर्भावनापूर्ण आशय से झूठे और निराधार आरोपों में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को सिद्ध करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि के अनुपालन में सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आवेदक ने आगे बताया कि वह 22.11.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक के जमानत आवेदन का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

4. समग्र तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक-दीपक कुमार, को मुकदमा अपराध संख्या 335 सन् 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 333, 64(1), थाना- भगतपुर, जिला- मुरादाबाद में, व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो स्थानीय जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।
6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

5 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"